उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-2
संख्या-4131/सेक-2-पांच-15-5(174)/2011
लखनऊ :: दिनांक 14 दिसम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित स्थान पर सम्बद्ध चिकित्साधिकारियों को जनहित में तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है:-

क्र0 सं0	चिकित्साधिकारी का नाम/ वरि0क्र0/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	डा0 अजय कुमार अग्रवाल/ 6481/सर्जन।	सम्बद्ध स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।	सर्जन, जिला चिकित्सालय, औरैया।
2	डा0 एस0पी0 सिंह/7420/ अस्थि रोग विशेषज्ञ।	सम्बद्ध स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।	अस्थि रोग विशेषज्ञ,जिला चिकित्सालय, बहराइच।
3	डा0 अरून कुमार शर्मा/ 9025/पैथालाजिस्ट।	सम्बद्ध स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।	पैथालाजिस्ट, जिला महिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर।

2- उक्त चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायें।

विनोद कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या:-4131(1)/सेक-2-पांच-15, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,कानपुर/देवीपाटन मण्डल, गोण्डा/बरेली।
5- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, औरैया/बहराइच।
6- मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर।
7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ/औरैया/बहराइच/शाहजहांपुर।
8 संबंधित चिकित्साधिकारी।
9- प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ संबंधित चिकित्सकों का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
10- गार्ड फाइल/चिकित्सा अनुभाग-3।

आज्ञा से,

(अवधेश कुमार खरे)
अनुसचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-2
संख्या-4130/सेक-2-पांच-15-5(304)/2014
लखनऊ :: दिनांक 14 दिसम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

जिला कारागार गाजियाबाद में निरूद्ध बन्दी संजय उफ सन्जू पुत्र श्री त्रिलोक चन्द के इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप में प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2631/सेक-2-पांच-15-5(304)/14, दिनांक 27.08.2015 द्वारा डा0 कैलाश नाथ तिवारी(वरि0क्र0-6524), वरिष्ठ परामर्शदाता, एम0एम0जी0 चिकित्सालय, गाजियाबाद के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनिक संस्थित करते हुए आरोपों की जांच हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ को जांच अधिकारी नामित किया गया है।

2- उक्त के दृष्टिगत तात्कालिक प्रभाव से डा0 कैलाश नाथ तिवारी (वरि0क्र0-6524), वरिष्ठ परामर्शदाता, एम0एम0जी0 चिकित्सालय, गाजियाबाद को प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित करते हुए वरिष्ठ परामर्शदाता(सर्जन), जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

3- डा0 तिवारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायें।

विनोद कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या:-4130(1)/सेक-2-पांच-15, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ/बस्ती मण्डल।
5- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एम0एम0जी0 चिकित्सालय, गाजियाबाद/जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर।
6- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, गाजियाबाद/सिद्धार्थनगर।
7- संबंधित चिकित्साधिकारी।
8- प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ संबंधित चिकित्सकों का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अवधेश कुमार खरे)
अनुसचिव।